उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15.9.22 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 20.9.22 को पेश हो।

20.9.22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 22.9.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

22/9/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम चुंवाला (मा०) तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 150 रकबा 0.5817 हैक्टर व आ०न० 152 रकबा 0.3920 हैक्टर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.9737 है० प्रार्थी की मौरुसी सम्पत्ति है। प्रार्थी के दादा कालूनारायण के फौत होने पर विरासत से वाद वर्णित आराजीयात रमसुख व देवकरण तथा दादी हस्तु के नाम पर आई। माता हस्तु की भी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में खाता देवकरण पिता कालू ब्राह्मण के नाम विरासत से दर्ज हुई जो कि मुझ प्रार्थी के पिता है। अप्रार्थी सं० 2 मेरा सगा भाई है। मुझ प्रार्थी के पिता ने सम्पूर्ण आराजीयात को पंजी बहू बक्षीसनामा से अप्रार्थी सं० 2 को बक्षीस कर हस्तान्तरित कर दी जिसका कि मेरे पिता को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वादवर्णित आराजीयात पैतृक होने से मुझ प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहीत है। आराजीयात अप्रार्थी सं० 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
से वह आराजीयात को खुर्द बुर्द रहन बय बख्शीश करने पर आमादा है जिसे रोके जाने हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे। इन आराजीयात बाबत घोषणा का वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिया जो विचाराधीन है। मैंने मेरे दादा कालू पिता लुम्बा ब्राह्मण के खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 से 47 पेश की, दादा कालू जी के फौत होने पर खाता विरासत से रामसुख, देवकरण पिता कालू, माता हस्तु बेवा कालू का नाम खाते में इ0नं0 667 दि0 29.5.90 की प्रमाणित प्रति पेश की उक्त इन्तकाल से खाता जमाबन्दी सम्वत 2056 से 59 में रामसुख, देवकरण पिता कालू, हस्तु बेवा कालू ब्राह्मण की पेश की जिसमें आ0नं0 150 व 152 अन्य आराजीयात कुल कीता 7 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के साथ संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इसके बाद मेरी दादी हस्तु की मृत्यु होने पर विरासत से खाता रामसुख, देवकरण पिता कालू ब्राह्मण के नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात रामसुख व देवकरण ने आपसी रजामन्दी से बटवाड़ा किए जाने पर इ0नं0 1337 दिनांक 3-12-05 से आ0नं0 150-152-1814 देवकरण पिता कालू ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 71 की पेश की। अप्रार्थी नं0 1 ने अप्रार्थी नं0 2 को वाद वर्णित आराजीयात को जरिये पंजीबद्ध उपहारपत्र (बख्शीशनामा) से स्थानान्तरित की जो राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थी नं0 2 के नाम पर खातेदारी से दर्ज हो चुकी है नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 79 की प्रति पेश की है अप्रार्थी नं0 1 को वाद वर्णित आराजीयात अपने पिता से वसीयत में मिली है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण आराजीयात को अप्रार्थी नं0 2	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

को अवैध तरीके से स्थानान्तरित की है जबकि मौके पर मैं अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात अप्रार्थी सं० 1 की खातेदारी होने से उनके द्वारा अप्रार्थी सं० 2 को विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज से स्थानान्तरित की है। प्रार्थी पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराए इस न्यायालय में वाद लाने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। पिता के जीवित होते हुए पुत्र दावा नहीं ला सकता है। इस सम्बन्ध में निम्न उद्धरण पेश किए हैं:-

1- 2021(2) DNJ (राज०) 380 माननीय राज० उच्च न्यायालय SB Civil प्रथम अपील नं० 300/2019 निर्णय दिनांक 23-2-2021 मोहनलाल व अन्य बनाम हनुमान सिंह व अन्य पेज सं० 380

2- 2020 DNJ (SC) 495 माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया सिविल अपील नं० 5889/2009 निर्णय दिनांक 22-11-2019 राधाबाई बनाम रामनारायण व अन्य।

वर्तमान रिकॉर्ड में वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी सं० 2 के नाम पर है जो अप्रार्थी सं० 1 अपने पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त की। प्रार्थी को कोई हक नहीं मिल सकता है। मुझ अप्रार्थी का अकेले का ही कब्जा काश्त है प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस के तथ्यों तथा प्रार्थनापत्र के तथ्यों तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक उद्धरणों का अध्ययन किया तत्पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाद वर्णित आराजी नं० 150 व 152 प्रार्थी के दादा कालू पिता लुम्बा ब्राह्मण की खातेदारी की थी जो नकल जमाबन्दी सम्वत 2054 मुताबिक द्वारा सिद्ध होते हैं। प्रार्थी के दादा कालू की मृत्यु के

वाद आराजीयात रामसुख-देवकरण पिता छोटू वे
बाद, आराजीयात रामसुख-देवकरण पिता छोटू के नाम दर्ज हुई जो स्वयं हटू बेवा छोटू के नाम खातेदारी से दर्ज हुई होना सिद्ध होता है एवं जमाबन्दी सम्वत 2056 से 63 द्वारा सिद्ध होता है रामसुख व हटू बेवा छोटू की मृत्यु के बाद आराजीयात रामसुख देवकरण के नाम खातेदारी से दर्ज हुई तत्पश्चात रामसुख व देवकरण के मध्य अन्य आराजीयात के साथ आ०नं० 150 व 152 का भी आपसी सहमति से बंटवारा होने पर आ०नं० 150 व 152 देवकरण के हिस्से में आई जो इन्द्राज नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 63 में हुए इन्द्राज से सिद्ध होता है इसी प्रकार इन्द्राज नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 71 में दर्ज है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजीयात देवकरण को पैतृक सम्पत्ति में वादवर्णित आराजीयात देवकरण के प्रार्थी व अप्रार्थी से विरासत से प्राप्त हुई। देवकरण के प्रार्थी व अप्रार्थी सं०2 पुत्र है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस है परन्तु देवकरण अप्रार्थी सं०1 ने वादवर्णित आराजीयात को अपने पुत्र शंकर जो अप्रार्थी सं०2 है को उपहार रूप में हस्तान्तरित कर दी। प्रार्थी ने वादवर्णित आराजीयात में हक प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है उसमें प्रार्थी के हकों का निर्धारण किया जाएगा परन्तु पक्षकारान में मुकदमेबाजी नहीं बढ़े इसके लिए वाद के निस्तारण से पूर्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जाना है इस हेतु तीन बिन्दुओं का निर्धारण आवश्यक है (1) प्रथम दृष्टया प्रकरण (2) सुविधा सन्तुलन (3) अपूरणीय क्षति।

प्रथम दृष्टया प्रकरण:- प्रार्थी आ०नं० 150 व 152 के हस्तान्तरण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है जैसा कि उपरवर्णित विवरण के अनुसार वादवर्णित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है तथा विरासत में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं०1 को प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी अपने पिता से अपना हक प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी प्रथम श्रेणी का वारिस है जिससे उसका हक अधिकार है परन्तु प्रार्थी के पिता ने रजिस्टर्ड दस्तावेज से अप्रार्थी सं०2 को हस्तान्तरित कर दी जिसके सम्बन्ध में वाद में निर्धारण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में तब तक वादवर्णित आराजीयात का आगे और हस्तान्तरण

(1)

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नहीं हो इसे रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित होगा।
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।
प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण यहां पर लागू नहीं होते
हैं क्योंकि मोहन लाल बनाम रामसुख में अपीलार्थी
पैतृक सम्पत्ति सिद्ध नहीं कर पाया तथा राधाबाई
बनाम रामनारायण में अपीलार्थी प्रथम श्रेणी की
वारिस नहीं थी तथा भूमि उसके पिता के नाम दर्ज नहीं
हुई थी परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी प्रथम श्रेणी का
वारिस है तथा पैतृक भूमि भी सिद्ध होती है इस प्रकार
प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निर्धारण
किया जाता है।

2- सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति:- प्रथम दृष्टया
प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जा चुका है
ऐसी स्थिति में सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में
सिद्ध होता है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरुद्ध
जारी की जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी
जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन
प्रार्थी के पक्ष में है ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति
को रोके जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी किया जाना उचित है। अतएव:-

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक
अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस
रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चुवाला (मां०)
तहसील-माण्डल की आ० नं० 150 रकबा 0.5817 हैक्टर,
आ० नं० 152 रकबा 0.3920 हैक्टर का वाद के निस्तारण
तक किसी अन्य को रहन, बय, बख्शीस नहीं करें।
आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 22/9/2022 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर जमा से दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा